दिनाँक	न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर **विनोद कुमार बनाम सीताराम व अन्य** **दीवानी वाद सं. 07/2015** **सीआईएस सं. 246/15**	अनुपालना टिप्पणी
01-4-26	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 6 के विधिक वारिसान की तामील का अवलोकन किया गया। वारिस सं. 1 व 2 की तामील लेने से इंकारी व शेष की तामील नहीं मिलने व माता द्वारा लेने से इंकार के नोट के साथ वापस आयी है। जिस पर अधिवक्ता वादी द्वारा पुनः तामील जारी करवाने व अदम की दशा में जरिये चस्पानगी तामील करवाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि तलवाना नोटिस पेश होने पर पुनः तामील जारी हो व अदम तामील की दशा में 2 गवाहान की उपस्थित में जरिये चस्पानगी तामील करवाई जावे । प्रतिवादी सं. 8 शंकर के विधिक वारिसान की तामील बाद तामील प्राप्त हुई। कोई उपस्थित नहीं, आवाजे लगायी गयी, न्यायालय समय 4.15 पीएम हो रहे है। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। इस स्तर पर अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 17 के विधिक वारिसान बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी सपठित धारा 5 अवधि अधिनियम पेश किया गया। नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलाई गई। तलवाना पेश होने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित वारिसान को नोटिस जारी हो, अदम तामील की दशा में 2 गवाहान की उपस्थित में जरिये चस्पानगी तामील करवाई जावे। प्रकरण निरीक्षण पत्रावली है, आवश्यक रूप से तामील जारी हो। पत्रावली वास्ते देखने तामील हेतु दिनांक 16-4-26 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर जिला न्यायाधीश संख्या-3,** **अजमेर**	

Authenticated Document